कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालयःफोन न. 0788–2210160 फैक्स न. 0788–22210814 ई–मेलः ccf-durg.cg@gov.in

क्रमांक/तक.अधि./ 6344 दुर्ग, दिनांक 21/09/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छ.ग. अटल नगर , नवा रायपुर

विषयः– **Diversion of forest land for non-forest purpose Under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Ltd., Raipur Laying Opticl Fiber Cable (OFC) line in Rajnandgaon Forest Division of Rajnandgaon District of Chhattisgarh state, Area-2.963 ha.**

संदर्भ :– आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध–1 ए/115–890 ए/981 दिनांक 04.04.2022.

—***—

विषयांतर्गत निवेदन है कि, राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत आवेदक संस्थान महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लि. रायपुर द्वारा दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपारा–मोहला, अम्बागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौण्डीलोहारा एवं डोंगरगढ़–विचारपुर मुख्य मार्गो के सड़क किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 4 बिंदुओं की आपत्ति का निराकरण कर जानकारी वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा इस कार्यालय को अनुशंसा सहित प्रेषित की गई है।

अतः वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव से प्राप्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
3 सेट

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
20/10/22

क्रमांक/तक.अधि./ 6345 – दुर्ग, दिनांक 21/09/2022

प्रतिलिपि :– वनमण्डलधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
21/10/22

कार्यालय वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

Tel No.: 225059 E-mail: rajnandgaondfo@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./ 1657 राजनांदगांव, दिनांक 22-08-22

E-RECEIPT
क्र. 7023 दि. 22/08/22
शाखा
मु.व.सं.(क्षे) दुर्ग वृत्त 2498

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/OFC/123989/2021**

संदर्भ :– आपका पत्र पृष्ठ क्रमांक/तक.अधि./M-288 दिनांक 07.04.2022

——00000——

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लि. चतुर्थ तक अम्बुजा मॉल, रायपुर (छ.ग.) द्वारा दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापुर, मोहला–अडजल, मेटेपारा–मोहला, अम्बागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सरोली–डौंडीलोहारा एवं डोगरगढ़–विचारपुर के मुख्य मार्गो के सड़क किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु रकबा 2.963 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकरण में 04 बिन्दुओं की आपत्ति का निराकरण कर जानकारी तैयार कर भेजी जा रही है। विवरण निम्नानुसार है :–

बिन्दु क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि के विवरण में 1.33 हे. आरक्षित वन भूमि तथा 1.548 हे. संरक्षित वनभूमि लेख है जबकि विचाराधीन पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 में 1.33 हे. तथा 1.548 हे. दोनो को आरक्षित वनभूमि दर्शाया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।	इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/मा.चि./2317 दिनांक 18.10.2021 में बिन्दु क्रं. 01 (प्रस्ताव पृष्ठ 01 से 07) अनुसार वन क्षेत्र विवरण में आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हे, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हे. एवं राजस्व वनभूमि रकबा 0.085 हे., कुल 2.963 हे. वनभूमि का उल्लेख किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
2	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रं. 10 में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है इसमें बहुत से वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये है। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना मंडल राजनांदगांव द्वारा उनके पत्र क्रं./वविनि/2022/मा.चि./1274 दिनांक 02.08.2022 द्वारा वन विकास परियोजना मंडल अंतर्गत सम्मिलित वन कक्षों का अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)
3	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रं. 31 से 38 में संधारित Form IV में आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जबकि Form IV संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाना होता है। कृपया Form IV में वनमंडलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रं. 31 से 38 में संधारित Form IV में वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव का सील सहित हस्ताक्षर कर प्रतिवेदन पुनः प्रेषित किया जा रहा है। (मूलप्रति संलग्न)
4	प्रस्ताव में आवेदित वनभूमि के विवरण को निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें :–	प्रपत्र संलग्न।

अतः मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना राजनांदगांव से वन कक्षों का अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ आपत्तियों का निराकरण उपरांत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।

सलंग्न :–उपरोक्तानुसार ।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

पृ.क्र./तक.अधि./ 1658 राजनांदगांव,दिनांक 22.08.22

प्रतिलिपिः– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.), अटल नगर नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।
2. महाप्रबंधक,(कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

प्रपत्र

वन भूमि का विवरण कंडिका क्रं. 04

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र/ तहसील का नाम	प्रभावित वनखंड/ ग्राम का नाम	प्रभावित वनभूमि/ राजस्व का प्रकार	वन कक्ष क्र. /खसरा	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मिस्प्री	बोरिया	आरक्षित वन	FDC 544	1980	0.5	0.099
2	—"—	—"—	मिस्प्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 545	660	0.5	0.033
3	—"—	—"—	मिस्प्री	हिलचुर	आरक्षित वन	FDC 547	2220	0.5	0.111
4	—"—	—"—	खड़गांव	सिवनी	आरक्षित वन	FDC 551	400	0.5	0.020
5	—"—	—"—	उत्तर मानपुर	मानपुर (पूर्व)	आरक्षित वन	918	2600	0.5	0.130
6	—"—	—"—	मिस्प्री	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 573	460	0.5	0.023
7	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 513	1540	0.5	0.077
8	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 489	920	0.5	0.046
9	—"—	—"—	भोजटोला	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 464	2600	0.5	0.130
10	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 463	420	0.5	0.021
11	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	आरक्षित वन	FDC 461	1560	0.5	0.078
12	—"—	—"—	खुज्जी	रेंगाडबरी – कारूटोला	आरक्षित वन	668	1280	0.5	0.064
13	—"—	—"—	खुज्जी	माटराखुज्जी जामनारा	आरक्षित वन	663	1940	0.5	0.097
14	—"—	—"—	बाघनदी	छुरियाभाग	आरक्षित वन	510	1340	0.5	0.067
15	—"—	—"—	बाघनदी	जोब	आरक्षित वन	625	2060	0.5	0.103
16	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	607	80	0.5	0.004
17	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	606	1140	0.5	0.057
18	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	608	40	0.5	0.002
19	—"—	—"—	बाघनदी	बाघनदी (द.),	आरक्षित वन	605	3360	0.5	0.168
योग							26600	0.5	1.330

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	खडगांव	टेकामटोला	संरक्षित वन	FDC 768	1020	0.5	0.051
2	—"—	—"—	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 527	280	0.5	0.014
3	—"—	—"—	खडगांव	गुबियागढ़	संरक्षित वन	FDC 526	620	0.5	0.031
4	—"—	—"—	उत्तर मानपुर	मानपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 917	1600	0.5	0.080
5	—"—	—"—	मिस्प्री	उरझे	संरक्षित वन	P 575	3920	0.5	0.196
6	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 558	940	0.5	0.047
7	—"—	—"—	मोहला	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 515	3760	0.5	0.188
8	—"—	—"—	मोहला	चिलमटोला	संरक्षित वन	FDC 487	440	0.5	0.022
9	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 462	1520	0.5	0.076
10	—"—	—"—	देववाड़वी	भोजटोला	संरक्षित वन	FDC P 460	1020	0.5	0.051
11	—"—	—"—	खुज्जी	जंतर	संरक्षित वन	FDC P 434	640	0.5	0.032
12	—"—	—"—	चौंकी	संसारगढ़	संरक्षित वन	P 746	280	0.5	0.014
13	—"—	—"—	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 433	1060	0.5	0.053
14	—"—	—"—	देववाड़वी	संसारगढ़	संरक्षित वन	FDC 432	180	0.5	0.009
15	—"—	—"—	मोहला	अड़मागोंदी	संरक्षित वन	P 786	40	0.5	0.002
16	—"—	—"—	चौंकी	चौंकी	संरक्षित वन	P 715	480	0.5	0.024
17	—"—	—"—	चौंकी	भडसेना	संरक्षित वन	P 716	980	0.5	0.049
18	—"—	—"—	चौंकी	मोंगरा (पं.)	संरक्षित वन	P 719	320	0.5	0.016
19	—"—	—"—	चौंकी	चिल्हाटी	संरक्षित वन	P 731	1220	0.5	0.061
20	—"—	—"—	बाघनदी	टीपानगढ़ (उ.)	संरक्षित वन	P 639	200	0.5	0.010
21	—"—	—"—	बाघनदी	छुरियाडोंगरी	संरक्षित वन	P 640	420	0.5	0.021
22	—"—	—"—	बाघनदी	हाटबंजारी	संरक्षित वन	P 641	1240	0.5	0.062
23	—"—	—"—	चौंकी	मेरेगांव	संरक्षित वन	P 712	820	0.5	0.041
24	—"—	—"—	बाघनदी	गहिराभेडी	संरक्षित वन	P 658	840	0.5	0.042
25	—"—	—"—	खुज्जी	भीमपुरी (उ.)	संरक्षित वन	P 677	2140	0.5	0.107
26	—"—	—"—	खुज्जी	रेंगाडबरी – [illegible]	संरक्षित वन	P 674	1120	0.5	0.056
27	—"—	—"—	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	300	0.5	0.015
28	—"—	—"—	खुज्जी	आमाकट्टा	संरक्षित वन	P 666	640	0.5	0.032
29	—"—	—"—	बाघनदी	छुरिया	संरक्षित वन	P 654	960	0.5	0.048
30	—"—	—"—	बाघनदी	गोपालपुर (उ.)	संरक्षित वन	P 648	1000	0.5	0.050
31	—"—	—"—	बाघनदी	विचारपुर (पू.)	संरक्षित वन	P 626	960	0.5	0.048
योग							30960	0.5	1.548

1	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	37/2	60	0.5	0.003
2	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	38	220	0.5	0.011
3	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	41	60	0.5	0.003
4	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	61	60	0.5	0.003
5	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	63	80	0.5	0.004
6	—"—	—"—	मोहला	मटकसा	राजस्व वन	165	240	0.5	0.012
7	—"—	—"—	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	207	60	0.5	0.003
8	—"—	—"—	छुरिया	मेटेपार	राजस्व वन	209	120	0.5	0.006
9	—"—	—"—	छुरिया	कुहीखुर्द	राजस्व वन	97	140	0.5	0.007
10	—"—	—"—	अम्बागढ़ चौंकी	आमाटोला	राजस्व वन	117	20	0.5	0.001
11	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	627/1	40	0.5	0.002
12	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	630	100	0.5	0.005
13	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	641	40	0.5	0.002
14	—"—	—"—	छुरिया	गहिराभेडी	राजस्व वन	656	20	0.5	0.001
15			छुरिया	सागर	राजस्व वन	275/1	440	0.5	0.022
योग							1700	0.5	0.085
कुल योग							59260	0.5	2.963

वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

कार्यालय मंडल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)
Phone/Fax: 07744-224079, E-mail: dmpanabaras@rediffmail.com

क्रमांक / वविनि / 2022 / मा.चि. / 1274 — राजनांदगांव, दिनांक 2/8/2022

प्रति,
वन मंडल अधिकारी,
राजनांदगांव वन मंडल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha. के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :— (1) असिसटेंट वॉईस प्रेसिडेन्ट (कार्पो अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर का पत्र क्रमांक / जिडिफाप्रालि / वनभूमि / व्यपवर्तन / 2022 दिनांक 05.05.2022
(2) आपका पत्र क्रमांक / मा.चि. / 3577 दिनांक 23.05.2022

—— 0 ——

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाहा गया है। तत्संदर्भ में उपमंडल प्रबंधक के स्थल निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि उक्त भूमि में कार्यके दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ आपकी ओर सादर प्रेषित है।

संलग्न - यथोपरि।

सधन्यवाद,

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / वविनि / मा.चि. / 2022 / 1275 — राजनांदगांव, दिनांक 2/8/2022

प्रतिलिपि :—

(1) महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि., रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) उपमंडल प्रबंधक, राजनांदगांव / मोहला को सूचनार्थ।

(3) समस्त परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, पानाबरस परियोजना मंडल को सूचनार्थ।

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

उप मंडल प्रबंधक, प्रक्षेत्र– मोहला / राजनांदगांव

छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / उप मंडल प्रबंधक / 15 मोहला–राजनांदगांव,दिनांक 02/08/2022

प्रति,

मंडल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मण्डल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.** के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– (1) प्रधान कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 03.06.2022
(2) मण्डल कार्यालय का पत्र क्रमांक 625 दिनांक 09.06.2022

—— 0 ——

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राईट ऑफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र चाही गई है। तत्संदर्भ में निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

02/08/2022
उप मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

O:\Year-2022\Word\Other\DyDM Letter.docx

कार्यालय मंडल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)

Phone Fax 07744-224079, E-mail dmpanabaras@rediffmail.com

क्रमांक वर्कफ्लो/2022/मा.चि./ 1275 राजनांदगांव, दिनांक 2 /8/ 2022

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
राजनांदगांव वन मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय : Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 propose for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Fores Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha. के संबंध में।

संदर्भ : (1) एसोसिएट वाईस प्रेसिडेन्ट (कार्पो अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर का पत्र क्रमांक/जिओडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2022 दिनांक 05.05.2022
(2) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3577 दिनांक 23.05.2022

-- 0 --

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राइट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768 527, 526, 558, 515, 487 462, 460, 433 432, 544, [illegible] 551 673 513 499 464 463 एवं 461 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। तत्संदर्भ में उपमंडल प्रबंधक के स्थल निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि उक्त भूमि कार्य के दौरान वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन न किया [illegible]।

अतः सूचनार्थ आपकी ओर सादर प्रेषित है।

सहपत्र – यथोपरि।

सधन्यवाद,

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/वर्कफ्लो/मा.चि./2022/ 1276 राजनांदगांव, दिनांक 2/8/20

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि., रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपमंडल प्रबंधक राजनांदगांव/मोहला की सूचनार्थ।
3. समस्त परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, पानाबरस परियोजना मंडल को सूचनार्थ।

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

उप मंडल प्रबंधक, प्रक्षेत्र– गोहला / राजनांदगांव

छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक / उप मंडल प्रबंधक / 19 गोहला राजनांदगांव, दिनांक 02/08/2022

प्रति,

मंडल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मण्डल
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.** के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– (1) प्रधान कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 03.06.2022
(2) मण्डल कार्यालय का पत्र क्रमांक 625 दिनांक 09.06.2022

0

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राईट आफ वे के अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाही गई है। तत्संदर्भ में निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

02/08/2022
उप मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्यालय मंडल प्रबंधक, छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड
पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)
Phone Fax 07744-223079, E-mail. dmpanabaras@rediffmail.com

क्रमांक/वा.पै./2022/मा.चि./ 1274 राजनांदगांव, दिनांक 2 /8/2022

प्रति,

वन मंडल अधिकारी,
राजनांदगांव वन मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.** के सम्बन्ध में।

संदर्भ : (1) असिस्टेंट वाईस प्रेसिडेन्ट (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर के पत्र क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2022 दिनांक 05.05.2022
(2) आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./3577 दिनांक 23.05.2022

---0---

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से राईट ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है। तत्संदर्भ में उपमंडल प्रबंधक के स्थल निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि उक्त भूमि पर केबल बिछाने वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन न किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ आपकी ओर सादर प्रेषित है।

सहपत्र - यथोपरि।

संलग्न: यथोक्त।

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/वा.पै./मा.चि./2022/ 1275 राजनांदगांव, दिनांक 2/8/202

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि., रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. उपमंडल प्रबंधक, राजनांदगांव/मोहला को सूचनार्थ।
3. समस्त परियोजना परिक्षेत्र अधिकारी, पानाबरस परियोजना मंडल को सूचनार्थ।

मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

उप मंडल प्रबंधक, प्रक्षेत्र– मोहला / राजनांदगांव

छ.ग. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, पानाबरस परियोजना मंडल, राजनांदगांव (छ.ग.)

क्रमांक/उप मंडल प्रबंधक/15 मोहला राजनांदगांव,दिनांक 02/08/2022

प्रति

मंडल प्रबंधक,
पानाबरस परियोजना मण्डल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Privet Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.** के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– (1) प्रधान कार्यालय, रायपुर का पत्र क्रमांक 1200 दिनांक 03.06.2022
(2) मण्डल कार्यालय का पत्र क्रमांक 625 दिनांक 09.06.2022

–0–

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से सड़क ऑफ वे के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु इस परियोजना मंडल के कक्ष क्रमांक 768, 527, 526, 558, 515, 487, 462, 460, 433, 432, 544, 545, 547, 551, 573, 513, 489, 464, 463 एवं 461 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाही गई है। तत्संदर्भ में निरीक्षण उपरान्त इस शर्त पर अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना प्रस्तावित है कि किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

02/08/2022
उप मंडल प्रबंधक
पानाबरस परियोजना मंडल
राजनांदगांव (छ.ग.)

FORM-IV

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा भेजे प्रस्तावों को धारा–2 के अंतर्गत पूर्व मंजूरी लेने का प्रारूप

1	परियोजना ब्यौरे	
i	उन प्रस्तावों तथा परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त वर्णन जिसके लिए वनभूमि अपेक्षित है ।	राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपार–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तावित एवं आवेदित है।
ii	अपेक्षित वन क्षेत्र का मदवार ब्यौरा (ऐसे अधिकारी द्वारा प्रज्ञपत किया जाना है, जो उपवन संरक्षक की श्रेणी से कम का अधिकारी नहीं हो)	प्रस्तावित केबल बिछाने का कार्य सड़क समानांतर सड़क राईट–ऑफ–वे के भीतर किया जावेगा, जो कि पूर्व से ही डायवर्टेड भूमि है तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा एवं वन्य प्राणी की क्षति नहीं होगी । प्रस्तावित क्षेत्र में निम्नलिखित भूमि की आवश्यकता है :– आरक्षित वनभूमि – 1.330 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि – 1.548 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि – 0.085 हेक्टेयर कुल वन भूमि – 2.963 हेक्टेयर
iii	परियोजना की कुल लागत	935 लाख रूपये
iv	परियोजना को वनक्षेत्र में लगाने का औचित्य तथा इसके लिए वैकल्पिक स्थानों की जॉच की गई, उनको दर्शाते हुए और नामंजूर करने के कारण बताए जाए	राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपार–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–

		डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु मॉंग की जा रही वन भूमि सड़क राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत पूर्व से ही व्यपवर्तित भूमि है, जिसमें पृथक से वन भूमि की आवश्यकता नहीं होगी तथा किसी भी प्रकार से वृक्षों की कटाई अथवा वन सम्पदा को हानि नहीं होगी । अन्य वैकल्पिक स्थल पर यह कार्य किए जाने से अतिरिक्त वन भूमि व्यपवर्तन की आवश्यकता होगी ।
v	वित्तीय तथा सामाजिक लाभ।	राजनांदगांव जिले के मोहला, छुरिया, अंबागढ़, खैरागढ़ एवं मानपुर तहसील अंतर्गत लगभग 150 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में दूरसंचार व्यवस्था सुदृढ़ होगी तथा इंटरनेट के माध्यम से शासकीय एवं गैर शासकीय योजनाओं का लाभ सीधे आम व्यक्तियों को प्राप्त होगी, रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे, वित्तीय लेन–देने में गति आएगी तथा लोगों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास होगा ।
vi	कुल लाभान्वित होने वाली आबादी	राजनांदगांव जिले के मोहला, छुरिया, अंबागढ़, खैरागढ़ एवं मानपुर तहसील अंतर्गत लगभग 150 ग्रामों एवं उनके आसपास स्थित अन्य ग्रामों में निवासरत लगभग 85000 लोग लाभान्वित होंगे।
vii	सृजित रोजगार	2000 मानव दिवस रोजगार का सृजन होगा।
2	**परियोजना स्कीम का स्थान**	
i	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	छत्तीसगढ़
ii	जिला	राजनांदगांव
iii	वन प्रभाग, वनखण्ड, कम्पार्टमेन्ट	सूची संलग्न
3	**मौजूदा भूमि उपयोग सहित परियोजना/स्कीम के लिए कुल अपेक्षित भूमि का मदवार ब्यौरा**	भूमिगत ऑप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि की आवश्यकता है।
4	**शामिल वनभूमि का ब्यौरा**	
i	वन की वैधानिक स्थिति ।	राजनांदगांव वनमंडल :–

		आरक्षित वनभूमि – 1.330 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि – 1.548 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि – 0.085 हेक्टेयर **कुल वन भूमि – 2.963 हेक्टेयर**
ii	क्षेत्र में मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा।	चूँकि प्रस्तावित कार्य सड़क के किनारे राईट–ऑफ–वे के अन्तर्गत किया जाना है, अतएव मौजूद वनस्पति और प्राणीजगत का ब्यौरा आवश्यक नहीं है।
iii	वनस्पति की सघनता	आवश्यक नहीं है ।
iv	वृक्षों की प्रजातिवार तथा गोलाईवार गोसवारा	आवश्यक नहीं है ।
v	भूमि कटाव के लिए वनक्षेत्र का महत्व क्या यह गंभीर रूप से क्षरित क्षेत्र का हिस्सा है अथवा नहीं ?	नहीं है ।
vi	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रकृति आरक्षित, जीव मंडल, रिजर्व आदि का एक हिस्सा है, यदि हॉ तो इसमें शामिल क्षेत्र का ब्यौरा दें । (मुख्य वन जीव अभिरक्षक की विशिष्ट टिप्पणीयों को संलग्न करें)	नहीं है ।
vii	विभिन्न प्रयोजनों के लिए परियोजना स्कीम के लिए अपेक्षित वनभूमि का मदवार ब्यौरा	राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपार–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फाईबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता है ।
viii	क्षेत्र में पाए जाने वाली दुर्लभ/संकट ग्रस्त वनस्पतियों व प्राणीयों की प्रजातियॉ	नहीं है ।
ix	क्या यह प्रवासी जीव जन्तु के लिए एक वास स्थल है या उसके लिए प्रजनन भूमि का एक भाग है ?	नहीं है ।

x	प्रस्तावित क्षेत्र अन्य किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र का हिस्सा है ?	नहीं है ।
5	परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्तियों का ब्यौरा	
i	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
ii	विस्थापित होने वाले परिवारों की कुल संख्या	निरंक
iii	विस्थापित होने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या	निरंक
iv	विस्तृत पुनर्वास योजना	निरंक
6	क्षतिपूर्ति वनीकरण का ब्यौरा	
i	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र,बिगड़े वनक्षेत्र का ब्यौरा, निकटवर्ती वनों से इसकी दूरी, हिस्से की संख्या, प्रत्येक हिस्सों का आकार	आवश्यकता नहीं है ।
ii	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए पहचान किए गए गैर वनक्षेत्र बिगड़े वनक्षेत्र तथा निकटवर्ती वन सीमाओं का दर्शाने वाला मानचित्र	आवश्यकता नहीं है ।
iii	रोपण की जाने वाली प्रजातियों कियान्वयन एजेन्सी समय सूची ढॉचा आदि सहित विस्तृत क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम	आवश्यकता नहीं है ।
iv	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय लागत	निरंक
v	वृक्षारोपण के लिए क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंध की दृष्टि में सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र (किसी ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाए जो कि उपवन संरक्षक की श्रेणी के नीचे की श्रेणी का अधिकारी न हो)	आवश्यक नहीं है ।
vi	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिए वनेत्तर भूमि उपलब्ध न होने के बारे में मुख्य सचिव से प्रमाण पत्र	आवश्यक नहीं है ।

7	पारेषण लाईनों के बारे में ब्यौरे (केवल पारेषण लाईनों के प्रस्तावों के लिए)	
i	पारेषण लाईन की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
ii	वनक्षेत्र से होकर गुजरने वाली लाईन की लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iii	मार्ग का अधिकार	आवश्यक नहीं है ।
iv	निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
v	वनक्षेत्र में निर्मित किए जाने वाले टॉवरों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
vi	पारेषण टॉवरों की ऊँचाई	आवश्यक नहीं है ।
8	सिंचाई/वन विद्युत परियोजनाओं के लिए	
i	कुल कैचमेन्ट क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	कुल कमाण्ड एरिया	आवश्यक नहीं है ।
iii	कुल जलाशय स्तर	आवश्यक नहीं है ।
iv	उच्च बाढ़ स्तर	आवश्यक नहीं है ।
v	न्यूनतम प्राप्ति स्तर	आवश्यक नहीं है ।
vi	परियोजना के कैचमेन्ट एरिया में आने वाले क्षेत्र का ब्यौरा (वन भूमि, कृषि भूमि, चारागाह, भवन, आबादी तथा अन्य)	आवश्यक नहीं है ।
vii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
viii	पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ix	पूर्ण जलाशय स्तर से 2 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
x	पूर्ण जलाशय स्तर से 4 मीटर नीचे जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
xi	न्यूनतम निकासी स्तर से जलमग्न क्षेत्र(केवल मंझोले व बड़े परियोजनाओं के लिए)	आवश्यक नहीं है ।
xii	उच्च बाढ़ स्तर पर जलमग्न का कुल क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
xiii	पूर्ण जलाशय स्तर पर जलमग्न क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।

9	सड़क/रेल लाईनों के बारे में ब्यौरे(केवल सड़क/लाईनों के प्रस्तावों के लिए)	
i	पट्टी की अपेक्षित लम्बाई, चौड़ाई एवं आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	सड़क की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iii	पूर्व निर्मित सड़क की कुल लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
iv	वनक्षेत्र से गुजरने वाली सड़क की लम्बाई	आवश्यक नहीं है ।
10	खनन प्रस्तावों के बारे में ब्यौरे (केवल खनन प्रस्तावों के लिए)	
i	कुल खनन पट्टा क्षेत्र एवं आवश्यक वनक्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
ii	प्रस्तावित खनन पट्टे की अवधि	आवश्यक नहीं है ।
iii	वनक्षेत्र एवं गैरर वनक्षेत्र में प्रत्तयेक खनिज/अयस्क धातु का अनुमानित भण्डार	आवश्यक नहीं है ।
iv	खनिज/अयस्क धातु का वार्षिक अनुमानित उत्पादन	आवश्यक नहीं है ।
v	खनन कार्यो की किस्म (खुली एवं भूमिगत)	आवश्यक नहीं है ।
vi	चरणबद्ध सुधार योजना	आवश्यक नहीं है ।
vii	खनन किए जाने वाले क्षेत्र का ढलान क्षेत्र	आवश्यक नहीं है ।
viii	पट्टा संलेख की प्रति संलग्न की जाए(केवल नवीनीकरण प्रस्ताव में संलग्न करें)	आवश्यक नहीं है ।
ix	नियोजित श्रमिकों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
निम्नलिखित कार्यो के लिए आवश्यक वनभूमि		
(a)	खनन	आवश्यक नहीं है ।
(b)	खनिज एवं अयस्क भण्डारण	आवश्यक नहीं है ।
(c)	अधिभार का निक्षेप	आवश्यक नहीं है ।
(d)	उपकरणों तथा मशीनों के भण्डारण	आवश्यक नहीं है ।
(e)	भवनों, बिजलीघरों, कार्यशालाओं आदि का निर्माण	आवश्यक नहीं है ।
(f)	शहर, आवास, कालोनियॉ	आवश्यक नहीं है ।

(g)	सड़क/रेल मार्ग/रोप वे का निर्माण	आवश्यक नहीं है ।
(h)	आवश्यक वनक्षेत्र की पूर्ण भूमि उपयोग योजना	आवश्यक नहीं है ।
x	परियोजना के तहत् उपर (a) से (h) तक उल्लेखित जिन गतिविधियों के लिए वनभूमि की मॉग की गई है, उनका वनक्षेत्र से बाहर शुरू/स्थापित न किए जाने के क्या कारण है ?	आवश्यक नहीं है ।
xi	खनन और संबंधित गतिविधियों के परिणाम स्वरूप होने वाली सम्भावित क्षति और प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या	आवश्यक नहीं है ।
xii	बारहमासी नदियों, मार्गो, राष्ट्रीय राजमार्गो, राष्ट्रीय उद्यानों, अभ्यारण्यों एवं जीव मण्डल रिजर्वो से खनन की दूरी	आवश्यक नहीं है ।
xii	पुनः प्रयोग के लिए उपरी सतह मिट्‌टी के भण्डारण की प्रकिया	आवश्यक नहीं है ।
xiii	भूमिगत खनन कार्य में अपेक्षित अवतलन की मात्रा एवं जल, वन तथा अन्य वनस्पतियों पर उसका प्रभाव	आवश्यक नहीं है ।
11	लागत–लाभ विश्लेषण	आवश्यक नहीं है ।
12	**क्या पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है ? (हॉ/नहीं),यदि हॉ तो आवश्यक अभिलेख संलग्न है (हॉ/नहीं) ।**	नहीं
13	**क्या अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई कार्य किया है ? (हॉ/नहीं), यदि हॉ तो –**	
i	प्रारंभ तिथि सहित विवरण	नहीं
ii	अधिनियम के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारी	नहीं
iii	की गई अनुशासनिक कार्यवाही का विवरण	नहीं
iv	क्या अभी भी अधिनियमों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा है ?	नहीं

28

14	कोई अन्य सूचना	निरंक
15	संलग्न किए गए प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का विवरण	चेक लिस्ट अनुसार सभी दस्तावेज सलंग्न है।
16	निम्नलिखित बिन्दुओं पर संबंधित मुख्य वन संरक्षक की विस्तृत टिप्पणी	
i	वनभूमि से इमारती, जलाऊ लकड़ी एवं अन्य वनोपज का उत्पादन	आवश्यक नहीं है ।
ii	क्या जिला इमारती एवं जलाऊ लकड़ी के लिए आत्मनिर्भर है ?	आवश्यक नहीं है ।
iii	प्रस्ताव के कारण अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के समुदायों पर जीवकोपार्जन एवं जलाऊलकड़ी पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण	आवश्यक नहीं है ।
iv	कारणों सहित प्रस्ताव का स्वीकार अथवा अस्वीकार करने हेतु मुख्य वन संरक्षक/प्रधान मुख्य वन संरक्षक की विशिष्ट टिप्पणी	आवश्यक नहीं है ।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दी गई समस्त जानकारी मेरी जानकारी के अनुसार सही है तथा आवश्यक वन भूमि की मॉंग न्यूनतम है ।

Divisional Forest Officer
Rajnandgaon Division (C G.)

(अमित कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कॉर्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–890 ए/ 78 दिनांक 04/04/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

विषय:– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area- 2.963 ha.**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021

संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ –5–05/ 2022/ 10–2 दिनांक 29.03.2022

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विषयांकित प्रकरण में 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार (1 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–890ए/ 782 रायपुर, दिनांक 04/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./M-288 दुर्ग,दिनांक: 07/04/2022

प्रतिलिपि:– वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, दुर्ग वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए समुचित कार्यवाही करें।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)
6/4/22

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–890 ए/781 दिनांक 04/04/2022

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

विषय:– Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area- 2.963 ha.
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021

संदर्भ:– छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ –5–05/ 2022/ 10–2 दिनांक 29.03.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त पत्र के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा विषयांकित प्रकरण में 4 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

अतएव संदर्भित पत्र में दर्शाये अनुसार बिन्दुवार जानकारी मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न:– उपरोक्तानुसार (1 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 890ए/ 782 रायपुर, दिनांक 04/04/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ M- २४४ दुर्ग,दिनांक: 07/04/2022

प्रतिलिपि:– वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, दुर्ग वृत्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुए समुचित कार्यवाही करें।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2 नवा रायपुर, दिनांक /03/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed for Jio Fiber Pvt. Ltd. Raipur laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest Division under Chhattisgarh State, area 2.963 ha.

संदर्भः- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध-1ए/115-890ए/372, दिनांक 25.02.2022 ।

---00---

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करें । विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिंदुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :-

1. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण में 1.33 हे. आरक्षित वन भूमि तथा 1.548 हे. संरक्षित वन भूमि लेख है जबकि विचाराधीन पत्र के बिंदु क्रमांक 1 में 1.33 हे. तथा 1.548 हे. दोनो को आरक्षित वन भूमि दर्शाया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 10 में आवेदित वन क्षेत्र का विवरण दिया गया है इसमें बहुत से वन कक्ष वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये है। कृपया वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
3. प्रस्ताव के पृष्ठ क्र 31 से 38 में संधारित Form IV में आवेदक संस्थान द्वारा हस्ताक्षर किये गये है जबकि Form IV संबंधित वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदाय किया जाना होता है। कृपया Form IV में वनमंडलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति प्राप्त कर प्रस्तुत करें।
4. प्रस्ताव में आवेदित वन भूमि के विवरण को निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें :-

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र./खसरा	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)

2/- अतः निवेदन है कि, कृपया उपरोक्त बिंदुओं पर उल्लेखित त्रुटियो के अनुरूप संशोधित पत्राचार/जानकारी प्रेषित करने का कष्ट करें, जिसके उपरांत प्रकरण में आगामी आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक एफ-5-05/2022/10-2 नवा रायपुर, दिनांक 29/03/2022

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
4. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स), जियो डिजिटल फायबर केबल प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

लिपिक- A

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़ रायपुर

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
नवा रायपुर
आवक क्र 772
दिनांक 30/03/2022

कार्यालय वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

Tel No.: 225059 E-mail : rajnandgaondfo@gmail.com

क्रमांक/मा.चि/ 2830 राजनांदगांव,दिनांकः–12-4-2022

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल,
अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ :– (1) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अं.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध /विविध–1ए/115–890ए/781 रायपुर दिनांक 04.04.2022
(2) मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग का पृ.क/तक.अधि./एम/288 दिनांक 07.04.2022

———00000———

विष्यांकित संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। उक्त पत्र के माध्यम से छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। बिन्दु क्र. 02 पृष्ठ क्र. 10 में आवेदित वनक्षेत्र का विवरण दिया गया हैं जो वन विकास निगम क्षेत्र अतंर्गत आवेदित दर्शाये गये है। जिसमें वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना है। अतः आप उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करावें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें ।

सलंग्न :–उपरोक्तानुसार ।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

पृ.क्र./मा.चि./ 2831 राजनांदगांव,दिनांक 12-4-2022

प्रतिलिपिः–

मंडल प्रबंधक पानाबरस परियोजना राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । कृपया आपके अधीनस्थ वनक्षेत्र से जाने वाली आप्टिकल फायबर केबल हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदक संस्थान को उपलब्ध कराते हुए इस कार्यालय को सूचित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार ।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

कार्यालय वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

Tel No.: 225059 E-mail : rajnandgaondfo@gmail.com

क्रमांक/तक.अधि./......4653 राजनांदगांव,दिनांक 21-6-2022

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स),
जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल,
अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड़, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Ripur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ :
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अं.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–890ए/781 रायपुर दिनांक 04.04.2022
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग का पृ.क्रं./तक.अधि./एम/288 दिनांक 07.04.2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./2830 दिनांक 12.04.2022 एवं 3576 दिनांक 23.05.2022

—00—

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिये गये निद्रेशानुसार प्रकरण में 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई हैं। बिन्दु क्रं. 02 पृष्ठ क्रं. 10 में आवेदित वनक्षेत्र का विवरण दिया गया है जो वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये है। जिसमें वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत किया जाना है। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करने हेतु संदर्भित पत्र की कंडिका 03 का पालन किये जाने हेतु आपको लेख किया गया था, जो आज पर्यन्त तक अप्राप्त है।

अतः चाही गई वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण प्रत्र प्राप्त कर तत्काल इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

पृ.क्र./तक.अधि./...4654 राजनांदगांव,दिनांक 21-6-2022

प्रतिलिपिः—

मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

कार्यालय वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव (छ.ग.)

Tel No.: 225059 E-mail : rajnandgaondfo@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./...3576 राजनांदगांव,दिनांकः- 23-5-2022

प्रति,

महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स),
जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल,
अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड़, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Ripur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh state, area-2.963 ha.**
रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ : 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अं.) छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध–1ए/115–890ए/781 रायपुर दिनांक 04.04.2022
2. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग का पृ.क्रं./तक.अधि./एम/288 दिनांक 07.04.2022
3. इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./2830 दिनांक 12.04.2022

–00–

विषयांकित संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। उक्त पत्र के माध्यम से छ.ग. शासन वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दिये गये निर्द्रेशानुसार प्रकरण में 04 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई हैं। बिन्दु क्रं. 02 पृष्ठ क्रं. 10 में आवेदित वनक्षेत्र का विवरण दिया गया है जो वन विकास निगम क्षेत्र अंतर्गत आवेदित दर्शाये गये है। जिसमें वन विकास निगम से अनापत्ति प्रमाण प्रत्र प्रस्तुत किया जाना है। उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय में जमा करने हेतु संदर्भित पत्र 03 के माध्यम से आपको लेख किया गया था, जो आज पर्यन्त तक अप्राप्त है।

अतः चाही गई वांछित जानकारी इस कार्यालय में 07 दिवस के भीतर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

पृ.क्र./मा.चि./3577 राजनांदगांव,दिनांक 23-5-2022
प्रतिलिपिः–

मंडल प्रबंधक, पानाबरस परियोजना राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
राजनांदगांव वनमण्डल राजनांदगांव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf.durg@gmail.com, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./ 952 दुर्ग, दिनांक 31/01/2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर

317
31.01.22

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose Under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Opticl Fiber Cable (OFC) line in Rajnandgaon Forest Division of Rajnandgaon District of Chhattisgarh state, Area-2.963 ha.**
(पंजीयन क्रमांक – FP/CG/OFC/123989/2021)

संदर्भ :– 1) आपका पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–890A/2806 दिनांक 16.11.2021.
2) व.म.अ. राजनांदगांव का पत्र क्र./तक.अधि./147 दिनांक 21.01.2022.

⅄⅄⅄

विषयांतर्गत निवेदन है कि, राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत आवेदक संस्थान महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लि. रायपुर द्वारा दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपारा–मोहला, अम्बागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गैंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गैंदाटोला, सोरली–डौण्डीलोहारा एवं डोंगरगढ़–विचारपुर मुख्य मार्गों के सड़क किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हे. वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित ऑफलाईन बिन्दु क्र. 01 एवं 02 तथा ऑनलाईन बिन्दु क्र. 01 से 07 तक लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर जानकारी वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा इस कार्यालय को अनुशंसा सहित प्रेषित की गई है।

अतः वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव से प्राप्त प्रस्ताव एवं बिन्दुवार जानकारी मय डी.जी.पी.एस.सर्वे की प्रति सहित 03 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

31/1/22
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./ 953 दुर्ग, दिनांक 31/01/2022

प्रतिलिपि :–

1.) वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

2) महाप्रबंधक (कार्पो.अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लि., चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

31/1/22
मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

E-mail – ccf.durg@gmail.com, Phone No. 0788-2210160 & Fax- 0788-2210814

क्रमांक/तक.अधि./7713 दुर्ग, दिनांक 23/10/2021

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू–प्रबंध/व.सं.अ.)
छ.ग. नवा रायपुर, अटल नगर

व.म.अ.राजनांदगांव

3803
25/10/2021

विषय :– Diversion of forest, land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Line in Rajnandgaon Forest Division Under Chhattisgarh State, area– 2.963 ha.
(पंजीयन क्रमांक– FP/CG/OFC/123989/2021)

संदर्भ :– 1) आपका कार्या.पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.15–890ए/683 दि.8.3.2021.
2) व.म.अ., राजनांदगांव का पत्र क्र./मा.चि./2317 दिनांक 18.10.2021.

विषयांतर्गत निवेदन है कि, आपके संदर्भित पत्र के संबंध में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत "जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड" द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमण्डल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपार–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौण्डीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (ROW) अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वनभूमि रकबा 1.330 हेक्टेयर, संरक्षित वनभूमि रकबा 1.548 हेक्टेयर एवं राजस्व वनभूमि 0.085 हेक्टेयर कुल 2.963 हेक्टेयर वनभूमि के गैरवानिकी उपयोग हेतु संबंधित संस्थान द्वारा प्रस्ताव वनमण्डल कार्यालय, राजनांदगांव को प्रेषित किया गया है, जिसका वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा परीक्षण उपरांत अग्रिम कार्यवाही हेतु अनुशंसा सहित प्रस्ताव कण्डिका क्रमांक–01 से 21 में इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव से प्राप्त उपरोक्त प्रस्ताव, डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट, भाग–2 एवं भाग–3, टाईमलाईन सहित 03 प्रतियों में आपकी ओर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/तक.अधि./7714 दुर्ग, दिनांक 23/10/2021

प्रतिलिपि :–

1. वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, राजनांदगांव की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. आवेदक संस्थान, महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड, चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू) रायपुर, छ.ग. की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/ विविध–1ए/115–890 ए/372 दिनांक 25/02/2022

कार्या. वनमण्डल अधिकारी
आवक क्र. 676
दिनांक 9.3.22

प्रति,
प्रमुख सचिव
छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

व.म.अ.राजनांदगांव

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State, area- 2.963 ha.**
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021

संदर्भ:– मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त, दुर्ग का पत्र क्रमांक/तक अधि / 852 दिनांक 31.01.2022

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–1 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोड़ल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र– आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनादंगाव वन मंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मंटेपारा–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–विचारपुर मुख्य मार्गो से समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.330 हे., आरक्षित वन भूमि रकबा 1.548 हे. राजस्व भूमि 0.085 हे. कुल 2.963 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1–7
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रतिः– प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक **FP/CG/OFC/ 123989/ 2021** आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रू. 35,000/– जमा कराया गया है।	8
3.	**वन क्षेत्र का विवरण:**– आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनादंगाव वन मंडल अंतर्गत 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केवल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.330 हे., आरक्षित वन भूमि रकबा 1.548 हे. राजस्व भूमि 0.085 हे. कुल 2.963 हे. वन भूमि के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।	9–11
4.	**गैर वन क्षेत्र विवरण:**– राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 13.178 हे. गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है।	12
5.	**प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:**– प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	13–27

	अंतर्गत इसी श्रेणी के 1 प्रकरणों के लिए कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा 13.524 हे. है।	
17.	**प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान वन्यप्राणी अभ्यारण्य या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाशय का वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	197
18.	**वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र कमांक/F.No. 11–9/1998 दिनांक 03/08/2009):–** आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर राजनांदगांव से अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग आवेदक विभाग द्वारा किया गया है जिसकी पावती अभिस्वीकृति प्रस्ताव के साथ संलग्न है।	198–201
19.	**राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र कमांक भू–प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):–** प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 3029 दिनांक 02.09.2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव के संलग्न है।	202–205
20.	**पंजीयन क्रमांक–पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र कमांक/एफ–7–22/2009/10–2 दिनांक 31/07/2009):–** विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–2 अनुसार है।	206–207
21.	**राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:–** प्रस्तावित वन भूमि किसी वन्य प्राणी परियोजना के अंतर्गत नही आ रहा है। अतः इस प्रस्ताव हेतु वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षण (वन्यप्राणी) का अनु ंसा की आवश्यकता नही है।	208–241

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त के उक्त अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ का अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग–4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– 1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
3. भाग–4
4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध/वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

6.	**वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैपः–** प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	28–29
7.	**प्रपत्र–4 में प्रस्तावः–** आवेदनकर्ता जियो डिजीटल फायबर प्रा.लि. द्वारा राजनांदगांव जिले के राजनांदगाव वन मंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला– अड़जल, मेटेपारा– मोहला, अंबागढ़– मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला – गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गो से समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायवर केवल बिछाने हेतु आरक्षित वन भूमि रकबा 1.330 हे., आरक्षित वन भूमि रकबा 1.548 हे. राजस्व भूमि 0.085 हे. कुल 2.963 हे. में किया जाना अपरिहार्य एवं अनिवार्य है। प्रस्तावित कार्य विद्यमान मार्गो के राईट आफ वे में किया जाना है अतः वृक्ष विदोहन नहीं किया जाना है।	30–38
8.	**प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीपः–**यूजर एजेंसी द्वारा कथन किया है कि छ.ग. प्रदेश के मोबाईल नेटवर्किंग कनेक्टिविटी का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण से एल.डबल्यू.ई क्षेत्रों में इंटेलिजेशन, मानिटरिंग, शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार सृजन के अवसर में वृद्धि होकर उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास भी होगा, इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों में पदस्थ सैनिक एवं अर्धसैनिक बलों की तथा पुलिस के जवानों में पारंपरिक संवाद सुविधा एवं आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध होगी, जिससे कि उग्रवाद के विस्तार में अंकुश लगेगा, साथ ही साथ हमारे जवान केज जीवन रक्षा में अत्यंत सहयोगी होगा। इस कार्य को संपादित करने के लिये 935 लाख रू. लागत आयेगी। .	39
9.	**न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्रः–** प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	40
10.	**अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाहीः–** इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है।	41
11.	**वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगाः–** भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त द्वारा वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। फायबर केवल लाईन बिछाये जाने हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का घनत्व 0.1 से 0.2 है।	42–56
12.	**ऐतिहासिक प्रमाण पत्रः–** प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	57
13.	**संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र कमांक/ एफ–5–20/2007/10–2 दिनांक 12/01/2010):–** 322.822 कि. मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिल फायबर केबल बिछाने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायतो के अनापत्ति प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है।	58–193
14.	**जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:–** राजनांदगांव वनमंडल के कुल वन भूमि रकबा 92837.551 हे. है।	194
15.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:–** राजनांदगांव वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में 17 प्रकरणों के 550.498 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	195
16.	**व.स.अ.–1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:–** व.स.अ.–1980 तहत राजनांदगांव वनमंडल के	196

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 890ए/373 रायपुर, दिनांक 25/02/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़।
3. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू), रायपुर (छ.ग.)।

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

कार्यालय वन मंडल अधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

दूरभाष : 07744–225059 (का), 226389 (नि.), ई–मेल dfo-rajnandgaon.cg@gov.in

ज्ञापन क्र./तक.अधि./ 147 राजनांदगांव, दिनांक 21.01.22

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
दुर्ग वृत्त दुर्ग

विषय :– **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fiber Private Ltd., Raipur Laying Optical Fiber Cable (OFC) line in Rajnandgaon Forest Division of Rajnandgaon District of Chhattisgarh state, Area-2.963 ha.** के सबंध में। ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक/FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/वं.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–890A/2806 दिनांक 16.11.2021 एवं विविध/115–718/8128 दिनांक 28.12.2021

2. आपका पृ.क्रमांक/त.अधि./8770 दिनांक 03.12.2021

——000——

विषयांकित संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत आवेदक संस्थान महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लि. चतुर्थ तल अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) द्वारा दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अडजल, मेटेपारा–मोहला, अम्बागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौंडीलोहारा एवं डोगरगढ़–विचारपुर मुख्य मार्गो के सडक किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हे. वन भूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव से संबंधित ऑफलाईन बिन्दु क्रं. 01 एवं 02 तथा ऑनलाईन बिन्दु क्रं. 01 से 07 तक लगाई गई आपत्ति का निराकरण कर जानकारी संलग्न कर भेजी जा रही है। विवरण निम्नानुसार है :–

ऑनलाईन कमियां एवं निराकरण :–

स.क्रं.	आपत्ति	निराकरण
1	वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ध्यान रखें कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में कलेक्टर कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र एवं राजस्व वनभूमि की एन.ओ.सी. प्राप्त हो गया है, तो ऑनलाईन Form A Part-I के कॉलम नं. K पर आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कराकर अपडेट कराया जाता है। अपलोड करावें।	आवेदक संस्थान द्वारा कलेक्टर राजनांदगांव से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड किया गया है एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध /विविध/115–718/724 दिनांक 12.03.2021 के निर्देशानुसार FRA प्रमाण पत्र प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत अपलोड किया जावेंगा, लेख किया गया है। छायाप्रति संलग्न
2	Form A Part-II के कॉलम नं. 16 में अपलोड भाग–2 पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित नही हैं। सुधार कर पुनः अपलोड करें।	Form A Part-II के कॉलम नं. 16 में अपलोड भाग–2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक प्रस्ताव में अंकित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है।
3	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक – 4 में गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है, का लेख किया गया है, परंतु ऑनलाईन फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-1 (IX) में अपलोड (Justification for locating the project in forest land and details of alternative examined) 322.822 कि.मी. (जिसमें 59.260 कि.मी. वन क्षेत्र है) ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, लेख किया गया है। प्रकरण में गैर वनभूमि सम्मिलित है, यह स्पष्ट होता है। गैर वनभूमि का पूर्ण विवरण गांववार/खसरावार प्रस्ताव के चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में साथ संलग्न करें।	आवेदक संस्थान द्वारा ग्रामवार गैर वनभूमि का विवरण से संबंधित जानकारी दी गई है। छायाप्रति संलग्न

e-Despatch

4	छ.ग.शासन के पत्र क्रमांक/एफ-5-20/2007-10-2 (पाट) दिनांक 13.10.2021 जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/ खनिज/ 331-29/2691 दिनांक 27.10.2021 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया गया है। छ.ग. शासन के निर्देशानुसार डी.जी.पी.एस. सर्वे सत्यापित कर प्रस्ताव के साथ संलगन एवं अपलोड़ करें।	आवेदक संस्थान द्वारा डी.जी.पी.एस. सर्वे के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर अपलोड किया गया है। छायाप्रति संलग्न। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/वं.स.अ.) का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/ विविध/115-718/8128 दिनांक 28.12.2021 द्वारा 27.10.2021 को जारी किये गये निर्देशो को आगामी आदेश तक शिथिल किया गया है।
5	एफ.एम.आई.एस. द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. के.एम.एल. फाईल/ शेप फाईल से मिलान का सत्यापन संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/ तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	सत्यापन प्रमाण संलग्न है।
6	आवेदित वनभूमि का सत्यापन डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के.एम.एल./ शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/ तकनीकी अधिकारी से कराया जावें, इस बाबत् भी सत्यापन प्रमाण-पत्र संलग्न करें।	सत्यापन प्रमाण संलग्न है।
7	संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के. एम.एल.फाईल/ शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/ तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त दुर्ग कार्यालय से संबंधित है।

ऑफलाईन कमियां एवं निराकरण :-

स.क्रं.	आपत्ति	निराकरण
1	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक-4 में गैर वनभूमि का विवरण में लेख किया गया है कि 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ-वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वनभूमि की आवश्यकता नही है, जबकि ऑनलाईन फार्म ए के बिन्दु क्रमांक B-2.1 में गैर वनभूमि-13.178 हेक्टेयर दर्शाया गया है - स्थिति स्पष्ट करें अथवा गैर वनभूमि 13.178 हेक्टेयर का विवरण संलग्न करें।	आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक-4 से संबंधित गैर वनभूमि का ग्रामवार विवरण संलग्न है।
2	चेक लिस्ट क्रमांक-11 : भाग-2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है, जिसे अंकित करें।	चेक लिस्ट क्रमांक-11 : भाग-2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम प्रस्ताव में अंकित किया गया है।

अतः प्रकरण से संबंधित जानकारी आवेदक संस्थान से प्राप्त किया जाकर आपत्तियों का निराकरण कर अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित।
(आवेदक संस्थान से प्राप्त आपत्तियो का छायाप्रति संलग्न)।

संलग्नः- 1. आवेदक संस्थान से प्राप्त जानकारी की छायाप्रति संलग्न)।
2. प्रस्ताव 04 प्रतियों में।
3. डी.जी.पी.एस. सर्वे की 04 प्रतियों में।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव
राजनांदगांव, दिनांक 21.01.22

पृ. क्र./तक.अधि./ 148

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध / व.स.अ.) छ.ग. अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सचूनार्थ सादर संप्रेषित।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लि. चतुर्थ तल अम्बुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (सड्डू) रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

वनमंडल अधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

प्रमाण — पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि आवेदित वनभूमि से संबंधित कराये गये डी.जी.पी.एस. सर्वे (के.एम.एल./शेप फाईल) का अभिलेखो से मिलान कर सत्यापन किया गया है।

तक.अधि. (कनिष्ठ)
वनमंडल राजनांदगांव

प्रमाण – पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि एफ.एम.आई.एस. द्वारा प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस., के.एम.एल./शेप फाईल से मिलान कर सत्यापन किया गया है।

तक.अधि. (कनिष्ठ)
वनमंडल राजनांदगांव

वनमंडलाधिकारी
राजनांदगांव वनमंडल राजनांदगांव

Jio DIGITAL LIFE

क्रमांक/जिडिफाप्रालि/वनभूमि/व्यपवर्तन/2020/109A दिनांक 14.12.2021

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
राजनांदगांव वनमंडल,
राजनांदगांव (छ.ग.)

कार्या. वनमण्डल अधिकारी आवक क्र. 2522 दिनांक 22/12/21 वनमण्डल राजनांदगांव (छ.ग.)

व.म.अ. राजनांदगांव

विषय :— **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 proposed for Jio Digital Fibre Private Ltd., Raipur Laying of Optical Fibre Cable (OFC) line in Rajnandgaon Forest Division of Rajnandgaon District of Chhattisgarh State, Area- 2.963 ha.**
ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक FP/CG/OFC/123989/2021

संदर्भ :— 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.सं.अ.) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/एल.एम. – 115-890A/2806 रायपुर दिनांक 16.11.2021

2. आपका पत्र क्रमांक/तक. अधि./03/9896 राजनांदगांव, दिनांक 06.12.2021

———0———

विषयांतर्गत राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा –गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपार–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा– फाफामार, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली– डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गों के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हेक्टेयर वन भूमि गैर वानिकी कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 (FCA 1980) के प्रस्तुत प्रस्ताव में संदर्भित पत्र क्रमांक–1 के माध्यम से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.) द्वारा ऑनलाईन एवं ऑफलाईन कमियों का विवरण प्रेषित किया गया है।

संदर्भित पत्र क्रमांक–2 के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्ताव मूलतः वापस करते हुए उक्त कमियों के निराकरण हेतु आपने निर्देशित किया है, अतः बिन्दुवार कमियों का निराकरण निम्नानुसार प्रेषित है :—

ऑनलाईन कमियां एवं निराकरण :—

स.क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ध्यान रखें कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में कलेक्टर कार्यालय द्वारा वन अधिकार पत्र एवं राजस्व वनभूमि की एन.ओ.सी. प्राप्त हो गया है, तो ऑनलाईन Form A Part-I के कॉलम न. K पर	कलेक्टर, राजनांदगांव द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र आनलाईन अपलोड किया गया। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व. स.अ.) के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/ 115-718/724 दिनांक 12.03.2021 के

	आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कराकर अपडेट कराया जाता है। अपलोड करावें।	निर्देशानुसार FRA प्रमाण पत्र प्रथम चरण स्वीकृति उपरान्त अपलोड किया जावेगा।
2	Form A Part-II के कॉलम नं. 16 में अपलोड भाग–2 पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है। सुधार कर पुनः अपलोड करें।	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है। भाग–2 वनमंडलाधिकारी के माध्यम से पूर्ण किया जावेगा।
3	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है, का लेख किया गया है, परंतु ऑनलाईन फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-1 (IX) में गैर वनभूमि–13.178 हेक्टेयर का उल्लेख है एवं फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-D(i) में अपलोड (Justification for locating the project in forest land and details of alternatives examined) 322.822 कि.मी. (जिसमें 59.260 कि.मी. वनक्षेत्र है) ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है, लेख किया गया है। प्रकरण में गैर वनभूमि सम्मिलित है, यह स्पष्ट होता है। गैर वनभूमि का पूर्ण विवरण गांववार/खसरावार प्रस्ताव के चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में साथ संलग्न करें।	ग्रामवार गैर वनभूमि का विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक–4 के साथ संलग्न है।
4	छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007–10–2 (पार्ट) दिनांक 13.10.2021 जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/खनिज/331-29/2691 दिनांक 27.10.2021 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया गया है। छ.ग. शासन के निर्देशानुसार डी.जी.पी.एस. सर्वे सत्यापित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं अपलोड़ करें।	डी.जी.पी.एस. सर्वे के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर कर पुनः प्रस्तुत है।
5	एफ.एम.आई.एस. द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. के.एम.एल.	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है।

	फाईल/ शेप फाईल से मिलान का सत्यापन संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार /तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।	
6	आवेदित वनभूमि का सत्यापन डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के. एम.एल./शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जावें, इस बाबत् भी सत्यापन प्रमाण–पत्र संलग्न करें।	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है।
7	संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वनभूमि के डी.जी.पी.एस. सर्वे डाटा (के. एम. एल. फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/ तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग से संबंधित है।

ऑफलाईन कमियां एवं निराकरण :–

स.क्र.	आपत्ति	निराकरण
1	चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में गैर वनभूमि का विवरण में लेख किया गया है कि 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वनभूमि की आवश्यकता नहीं है, जबकि ऑनलाईन फार्म ए के बिन्दु क्रमांक B-2.1 में गैर वनभूमि–13.178 हेक्टेयर दर्शाया गया है– स्थिति स्पष्ट करें अथवा गैर वनभूमि 13.178 हेक्टेयर का विवरण संलग्न करें।	प्रस्ताव के बिन्दु क्रमांक–4 में ग्रामवार गैर वनभूमि का विवरण संलग्न है।

2	चेक लिस्ट क्रमांक–11 : भाग–2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है, जिसे अंकित करें।	वनमंडल राजनांदगांव से संबंधित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(अमित कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
जियो डिजीटल फायबर प्राईवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध/व.स.अ.), रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित्।

शाखा 21/12/21
मु.व.सं. वृत्त 02/12

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर 19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भू-प्रबंध)
दूरभाष: 0771 - 2512840 ई-मेल: apccf-lm.cgfd@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-890A/ 2806 दिनांक 16/11/2021

प्रति,

वन मंडलाधिकारी
राजनांदगांव वन मंडल, राजनांदगांव
छत्तीसगढ़

व.म.अ. राजनांदगांव 5/12/2021

4945
03-12-21

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Jio Digital Fiber Pvt. Ltd. Raipur Lying Optical Fiber Line in Rajnandgaon forest division under Chhattisgarh State. area- 2.963 ha.
पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 123989/ 2021

संदर्भ:- 1. मुख्य वन संरक्षक दुर्ग वृत्त दुर्ग का पत्र क्रमांक/तक अधि / 7713 दिनांक 23.10.2021
2. वन मंडलाधिकारी, राजनांदगांव वन मंडल का पत्र क्रमांक/2317 दिनांक 18 10 2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से राजनांदगांव वन मंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा–भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपारा–मोहला, अंबागढ़–मोगरा, मोगरा–कापकसर, गेंदाटोला–गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली–डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गों से समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु 2.963 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है।

उक्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया जिसमें निम्नानुसार ऑफ लाईन एवं ऑन लाईन कमियां पाई गई हैं:-

ऑन लाईन कमियाँ

1. Coloum No: K Status of settlement of rights under the Forest Rights Act,2006 on the forest land proposed to be diverted

(I). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

वनमंडलाधिकारी राजनांदगांव ध्यान रखें कि वन संरक्षण अधिनियम के प्रकरणों में कलेक्ट कार्या द्वारा वन अधिकार पत्र एवं राजस्व वन भूमि की एन.ओ.सी. प्राप्त हो गया है तो आनलाईन Form A Part-1 के कालम न. K पर आवेदक संस्थान द्वारा अपलोड कराकर अपडेट कराया जाता है। अपलोड करावें।

2. Form A Part-II के कालम न. 16 में अपलोड भाग–2 पर हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक सकित नहीं हैं। सुधार कर पुनः अपलोड करें।

3. चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है का लेख किया गया है। परन्तु आनलाईन फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-I(IX) में गैर वन भूमि – 13.178 का उल्लेख है एवं फार्म ए के बिन्दु क्रमांक A-D(i) में अपलोड (Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined) 322.822 कि.मी. (जिसमें 59.260 कि.मी वन क्षेत्र है) आप्टिकल फायबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है लेख किया गया है। प्रकरण में गैर वन भूमि सम्मिलित है यह स्पष्ट होता है। गैर वन भूमि का पूर्ण विवरण गाँववार/खसरावार प्रस्ताव के चेक लिस्ट के बिन्दु क्रमांक–4 में साथ संलग्न करें।

4. छ.ग. शासन के पत्र क्रमांक/एफ–5–20/2007/10–2(पार्ट) दिनांक 13.10.2021 जो कार्यालयीन पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/वनिज/331–29/2691 दिनांक 27.10.2021 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों को लेख किया गया है। छ.ग. शासन के निर्देशानुसार अनुसार डी.जी.पी.एस रिपोर्ट सत्यापित कर प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं अपलोड करें।

5. एफ.एस.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदाशित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस. के एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

6. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जाय इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न करें।

7. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

ऑफ लाईन कमियां

1. चेक लिस्ट क्रमांक – 4 : गैर वन क्षेत्र का विवरण में लेख किया गया है कि 322.822 कि.मी सड़क के किनारे राईट ऑफ वे अंतर्गत आप्टिकल फायवर केबल बिछाने के कार्य में गैर वन भूमि की आवश्यकता नहीं है जबकि आनलाईन Form-A, Part-I के B-2.1 में गैर वन भूमि 13.178 हे. दर्शाया गया है – स्थिति स्पष्ट करें अथवा गैर वन भूमि रकबा 13.178 हे. का विवरण संलग्न करें।

2. चेक लिस्ट क्रमांक – 11 : भाग–2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है जिसे अंकित करें।

उपरोक्तानुसार कमियों की पूर्ति कर प्रस्ताव एवं डी.जी.पी.एस. सर्वे मूलतः संलग्न प्रेषित है।

संलग्न 1. प्रस्ताव 3 प्रतियों में
2. डी.जी.पी.एस. सर्वे 3 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं स. अ)
छत्तीसगढ

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/ 115–890A/ 2807 रायपुर, दिनांक 16/11/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स) जियो डिजीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड चतुर्थ तल, अनुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा (रा.ह.), रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स.अ)
छत्तीसगढ

क्रमांक/मा.चि./8770 दुर्ग दिनांक 03.12.2021

प्रतिलिपि वनमंडलाधिकारी ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ... कमियों पूर्ति कर प्रस्ताव ... प्रेषित करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
दुर्ग वृत्त, दुर्ग (छत्तीसगढ़)
2/12/21

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)
दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–718 (पार्ट)/ 8128 दिनांक 28/12/2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषय :– वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में DGPS सर्वे के संबंध में दिशा–निर्देश ।

संदर्भ:– 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–20/ 2007/ 10–2 (पार्ट) दिनांक 13.10.2021
2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ विविध/ 115–718 (पार्ट)/ 2691 दिनांक 27.10.2021
3. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/ विविध/ 115–718 (पार्ट)/ 2947 दिनांक 02.12.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें।

1. संदर्भ पत्र–1 से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आप्टिकल फाईबर केबल (ओ.एफ.सी) लाईन के वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरण के लिए छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नवा रायपुर द्वारा 4 बिन्दुओं में विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर उस अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु लेख किया था जिसकी संसूचना कार्यालयीन संदर्भित पत्र –2 से समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त वन मंडलाधिकारियों को दी गई थी।

2. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में डी.जी.पी.एस. Survey report के उपरोक्त निर्देशों में बिन्दु क्रमांक 1 (i) जिसमें प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर वन मंडलाधिकारी का हस्ताक्षर होना एवं (ii) मुनारे निर्माण हेतु जारी निर्देश को आप्टिकल फाईबर केबल लाईन के प्रकरण के लिए पृथक रखते हुए पुनरीक्षित दिशा – निर्देश जारी करने हेतु संदर्भ पत्र–3 से प्रमुख सचिव, वन विभाग को लेख किया गया है जो निर्णय हेतु शासन स्तर पर विचाराधीन है।

3. तत्संबंध में प्रमुख सचिव, वन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 20.12.2021 को आयोजित बैठक में हुई चर्चा अनुसार बिन्दु – 1 से समस्त मुख्य वन संरक्षक एवं समस्त वन मंडलाधिकारियों को दिये गये निर्देश को बिन्दु क्रमांक – 2 अनुसार शासन स्तर से आगामी आदेश होने तक छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के दिनांक 13.10.2021 से जारी निर्देश को शिथिल रखते हुए पूर्वानुसार ओ.एफ.सी. लाईन एवं अन्य व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया जाना है।

अतएव वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत समस्त व्यपवर्तन प्रकरणों में बिन्दु क्रमांक–3 अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

28/12

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. स. अ.)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–718 (पार्ट)/ 8129 दिनांक 28/12/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:
– समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), छत्तीसगढ़ को पालनार्थ।

28/12

अ.प्र.मु.व.सं (भू–प्रबंध /व. स. अ.)
छत्तीसगढ़

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–29/2691 रायपुर, दिनांक 27/10/2021

प्रति,

समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

विषय: वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राज्य शासन से जारी किये जाने वाले विविध दिशा निर्देश।

संदर्भ: छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ – 5–20/ 2007/ 10–2 (पार्ट) दिनांक 13.10.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें (छायाप्रति संलग्न)।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले डी.जी.पी.एस. सर्वे के संबंध में 3 बिन्दुओं की दिशा निर्देश जारी किया गया है।

अतः संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आगामी प्रस्तुत किये जाने वाले वन भूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में डी.जी.पी.एस. सर्वे रिर्पोट प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति (02 पृष्ठीय)

(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–29/2692 रायपुर, दिनांक 27/10/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय), छत्तीसगढ़ को पालनार्थ।
- शाखा प्रभारी– विविध–1/ विविध–2/ विद्युत / सिंचाई / खनिज/ सहायक प्रोग्रामर, भू–प्रबंध प्रभाग। संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्र संलग्न है अथवा नहीं प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें। तत्पश्चात ही प्रस्ताव राज्य शासन को प्रेषित करें।

संलग्न :– संदर्भित पत्र की छायाप्रति (02 पृष्ठीय)

अ.प्र.मु.व.स (भू–प्रबंध /वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

कमांक एफ–5–20/2007/10–2(पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
एवं वन बल प्रमुख
छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् राज्य शासन से जारी किये जाने वाले विविध दिशा निर्देश ।

——00——

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में आवेदित वन भूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण स्थल के DGPS Survey Report तैयार करने हेतु निम्न दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चत करें :–

(i). DGPS Survey Report के प्रत्येक पृष्ठ पर वनमंडलाधिकारी के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

(ii).DGPS अंतर्गत निर्मित 100% मुनारों का सत्यापन संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। वनमंडलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित करेगें कि, आवश्यक समस्त मुनारें सही जगह पर लगाये गये है तथा सही हालत में है। वनमंडलाधिकारी स्वयं पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर Random रुप से 2% मुनारों का प्रतिपरीक्षण करेगें तथा निम्न तालिका अनुसार निर्धारित प्रारुप में प्रतिवेदन देगें। यदि कोई मुनारा निर्धारित स्थान पर नही पाया जाता है या सही हालत में नहीं पाया जाता है तो उसे सुधार कराना सुनिश्चित करेगें :–

तालिका –1

वनमंडलाधिकारी द्वारा DGPS Survey के दौरान सत्यापित मुनारों का विवरण

सत्यापित किये गये मुनारों का I.D. क्र.	DGPS Survey के नक्शे अनुसार मुनारों के Coordinate का विवरण		मुनारों के सत्यापन के दौरान प्राप्त Coordinate का विवरण		क्या मुनारें सही स्थान पर सही स्थिति में पाये गये अथवा नही का विवरण (हॉं/नही में विशेष उल्लेखनीय बिन्दु)	रिमार्क
	अक्षांश	देशांश	अक्षांश	देशांश		

(iii). वनमंडलाधिकारी द्वारा DGPS नक्शा तथा रिपोर्ट एवं सर्वे में प्रयुक्त 100% मुनारों का सत्यापन संबंधित उपवनमंडलाधिकारी से कराकर, सत्यापन प्रतिवेदन को अपने कार्यालयीन रिकार्ड में संधारित किया जायेगा।

2/– वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु आवेदित होने वाले वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों के प्रोसंसिंग हेतु 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट तथा अन्य प्रकार के गैर वानिकी कार्यों हेतु आवेदित होने वाले वन भूमि प्रकरणों के लिए 44 बिंदुओं की चेक लिस्ट निर्धारित की गई है।

क्रमशः 2

22038
22/10/2021

3/– उपरोक्त 21 बिंदुओं की चेक लिस्ट में 22 वां बिंदु तथा 44 बिंदुओं की चेक लिस्ट में 45 वां बिंदु के रूप में आवेदित वन क्षेत्र तथा प्रस्तावित वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के DGPS Survey प्रतिवेदन की वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति, DGPS की KML File सहित साफ्ट प्रति के साथ निम्नानुसार प्रमाण पत्र अनिवार्य रुप से वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा :–

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि, मेरे द्वारा विषयांकित प्रकरण में गैर वानिकी कार्य हेतु प्रभावित वन क्षेत्र में बनाये गये समस्त मुनारों का सत्यापन उपवनमंडलाधिकारी से निर्धारित प्रपत्र में करा लिया गया है तथा उनका सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र का संधारण कार्यालयीन अभिलेख में किया गया तथा उक्त मुनारों में से Random रुप से 2% मुनारों का मेरे द्वारा प्रतिपरीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत है। समस्त मुनारे अपने निर्धारित स्थल पर सही स्थिति में लगे पाये गये हैं :–

प्रपत्र

वनमंडलाधिकारी द्वारा DGPS Survey के दौरान सत्यापित मुनारों का विवरणः–

सत्यापित किये गये मुनारों का I.D. क्रं.	DGPS Survey के नक्शे अनुसार मुनारों के Coordinate का विवरण		मुनारों के सत्यापन के दौरान प्राप्त Coordinate का विवरण		क्या मुनारें सही स्थान पर सही स्थिति में पाये गये अथवा नही का विवरण (हॉं/नही में विशेष उल्लेखनीय बिन्दु)	रिमार्क
	अक्षांश	देशांश	अक्षांश	देशांश		

हस्ताक्षर **परिक्षेत्र अधिकारी**	**हस्ताक्षर** **उप वनमंडलाधिकारी**	**हस्ताक्षर** **वनमंडलाधिकारी**

4/– कृपया आगामी प्रस्तुत किये जाने वाले वन भूमि व्यपवर्तन प्रकरणों में उपरोक्त बिंदुओं के अनुरुप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.कमांक एफ–5–20/2007/10–2(पार्ट) नवा रायपुर, दिनांक 13/10/2021

प्रतिलिपि :–

1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2.समस्त मुख्य मुख्य वन संरक्षक (क्षे.), छत्तीसगढ़।
3.समस्त वनमंडलाधिकारी, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

13.10.21
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

गैर वन क्षेत्र विवरण

राजनांदगांव जिले के राजनांदगांव वनमंडल अंतर्गत दल्लीराजहरा–गोटाटोला, अंगारा –भानुप्रतापपुर, मोहला–अड़जल, मेटेपार–मोहला, अंबागढ़–मोंगरा, मोंगरा–फाफामार, गेंदाटोला –गोटाटोला, राजनांदगांव–गेंदाटोला, सोरली– डौंडीलोहारा एवं डोंगरगढ़–बिचारपुर मुख्य मार्गो के समानांतर कुल 322.822 कि.मी. सड़क के किनारे राईट ऑफ–वे (RoW) अंतर्गत आप्टिकल फायबर केबल बिछाने के कार्य में गैर वनभूमि का ग्रामवार विवरण निम्नानुसार है :–

स.क्र.	ग्राम	गैर वनभूमि (हेक्टेयर में)
1	अछोली	0.084
2	अड़झर	0.111
3	आलीवारा	0.163
4	आमादूला	0.060
5	अंबागढ़ चौकी	0.437
6	आमागांव	0.121
7	अमलीडीह	0.093
8	आरी	0.019
9	अर्जुनी	0.116
10	बगदई	0.040
11	बम्हनी चारभाठा	0.046
12	बापूटोला	0.085
13	बरसनटोला	0.015
14	बावली	0.029
15	बेलरगोंदी	0.134
16	भडसेना	0.205
17	भगवानटोला	0.118
18	भर्रीटोला	0.110
19	भटगांव	0.083
20	भोस्टोला	0.081
21	भुरसाटोला	0.027
22	बिहारी कला	0.119
23	बिहारी खुर्द	0.058
24	बिटाल	0.014
25	बोगटोला	0.083
26	बोरिया मोस्का	0.143
27	छिंटाकसा	0.091
28	छुरिया	0.119

29	चिखली	0.008
30	चिरचिरी कला	0.130
31	दानगढ़	0.108
32	दतरेंगा	0.042
33	देववाडवी	0.052
34	धाधूटोला	0.160
35	धूतीटोला	0.041
36	डोंगाघाट	0.002
37	डोंगरगांव	0.047
38	दूगाटोला	0.072
39	डूमरडीह	0.092
40	फाफामार	0.028
41	गेंदाटोला	0.260
42	घोघरे	0.060
43	घोर्दा	0.070
44	घोठिया	0.088
45	गिधाली	0.103
46	गोदलवाही	0.116
47	गोपलिन चुवा	0.116
48	गोटाटोला	0.224
49	हज्जू टोला	0.123
50	हलमकोडो	0.146
51	हर्राटोला	0.095
52	होदीटोला	0.108
53	इरागांव	0.127
54	जबकसा	0.081
55	जंगलपुर	0.185
56	जरहाटोला	0.014
57	झिटिया	0.108
58	कहडबरी	0.172
59	कहगांव	0.057
60	कंगलूटोला	0.057
61	करमतरा	0.016
62	कौडीकसा	0.099
63	कविराज टोलागांव	0.026
64	केशो खैरी	0.082
65	खडगांव	0.109
66	खडखड़ी	0.031
67	खुर्सीटिकुल	0.159
68	कोनारी	0.037
69	कोसमी	0.017

70	कोटरा	0.103
71	कुमर्दा	0.104
72	कुम्हाली	0.060
73	कुंजमटोला	0.070
74	लालूटोला	0.114
75	लताकोडो	0.069
76	लुलीकसा	0.057
77	मकोडी	0.064
78	मरकाकसा	0.085
79	मटिया	0.061
80	मोहद	0.125
81	मोहभाठा	0.189
82	मोहगांव	0.032
83	मोंगरा	0.068
84	मुंजलकला	0.051
85	मुरारगोटा	0.131
86	नरेटीटोला	0.021
87	पैरी	0.079
88	पंडरीतरई	0.208
89	पनेका	0.061
90	पठानदोदगी	0.141
91	फरहद	0.058
92	पुजारीटोला	0.058
93	राजनांदगांव	0.353
94	रामपुर	0.100
95	रंगीटोला	0.080
96	रेंगाकठेरा	0.140
97	संगली	0.054
98	सेवटाटोला	0.113
99	सिंघाभेड़ी	0.216
100	सोमाटोला	0.095
101	सुखरी	0.118
102	सुवरपाल	0.096
103	टिरपेमेटा	0.112
104	टोयगोंदी	0.077
105	अमाटोला	0.083
106	आमाकट्टा	0.030
107	अरजकुण्ड	0.144
108	बिचारपुर	0.043
109	बितेझर	0.058
110	बोरिया ठेकेदरी	0.024

111	छुरिया डोंगरी	0.075
112	चिल्हाटी	0.036
113	धोबेंडाण्ड	0.073
114	गहिरभेड़ी	0.122
115	जोब	0.090
116	कमानसुर	0.023
117	कुही खुर्द	0.102
118	कुमर्रा छुरिया	0.009
119	लुडकाबोड़	0.053
120	मानपुर	0.064
121	मर्री	0.178
122	मसुलकसा	0.126
123	मटकसा	0.118
124	मेटेपार	0.155
125	मोहला	0.172
126	मुंगल	0.070
127	मुरारगोटा	0.086
128	नडेकल	0.028
129	नेताम टोला	0.061
130	पैरीटोला	0.092
131	पानबरस	0.108
132	पंचाल फडकी	0.011
133	पटेली	0.080
134	सागर	0.111
135	शेरपार	0.088
136	सिवानी	0.316
137	टिपानगढ़	0.031
138	मघोपुर	0.028
139	तोलंग	0.171
140	तुमडीकसा	0.029
141	उर्वाही	0.055
कुल योग		13.178

(अमन कुमार सिंह)
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
ज़ियो डिज़ीटल फायबर प्रायवेट लिमिटेड
रायपुर (छ.ग.)